दिनांक 17.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 329/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की अलीगढ़ तथा आजमगढ़ इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 17.06.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की अलीगढ़ तथा आजमगढ़ इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन अलीगढ़ इकाई द्वारा यतेन्द्र भारद्वाज उर्फ गौरव निवासी श्रीधाम कॉलोनी कस्बा व थाना इगलास जनपद अलीगढ़ से विद्युत कार्य के बिलो के भुगतान कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक अनिल कुमार यादव के नेतृत्व में कक्ष संख्या-5 लेखा अनुभाग कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड इगलास अलीगढ़ से **प्रभात कुमार गुप्ता (कार्यकारी सहायक विद्युत वितरण खण्ड इगलास अलीगढ़)** पुत्र रामलाल गुप्ता निवासी रस्तोगी नगर बालागंज थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ को **40 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन आजमगढ़ इकाई द्वारा अशोक कुमार सिंह निवासी सोनवानी थाना हल्दी जनपद बलिया से भूमि की पैमाइश कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक कमलेश कुमार पासवान के नेतृत्व में कमरा नं0-22 प्रथम तल, तहसील सदर बलिया से **राजस्व निरीक्षक रामप्रताप राम (तहसील सदर बलिया)** पुत्र स्व0 दिलचन्द्र राम निवासी ग्राम व बोस्ट दया छपना थाना बैरिया जनपद बलिया को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 17.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 330/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–हत्या, डकैती लूट सहित कई संगीन अपराध में निरूद्ध के दौरान वर्ष–2016 में आजमगढ़ कारागार से फरार रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त चन्द्रशेखर आजमगढ़ से गिरफ्तार।

दिनांकः 16–06–2026 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को हत्या, डकैती, लूट सहित कई संगीन अपराध में निरूद्ध के दौरान वर्ष–2016 में आजमगढ़ कारागार से फरार रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त चन्द्रशेखर आजमगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

1– चन्द्रशेखर उर्फ शेखर मुसहर पुत्र स्व0 लाल जी मुसहर ग्राम लश्करपुर, थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी हाल पता बकैनिया, थाना गहमर, जनपद गाजीपुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

खेमउपुर रोड नहर पुलिया थाना क्षेत्र सिधारी, जनपद आजमगढ़ दिनांक 16–06–2026 समय 18.30 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देष के क्रम में श्री संजीव कुमार दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक श्री आशुतोष कुमार त्रिपाठी, निरीक्षक ओमशकर शुक्ला, मु0आ0 दिलीप कुमार, मु0आ0 कुलदीप सिंह चालक अफजाल एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ की टीम जनपद आजमगढ़ में भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि वर्ष–2016 में जनपद कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध बन्दी चन्दशेखर मुसहर जेल की दीवार फादकर फरार हो गया था और उसके विरूद्ध थाना सिधारी में मु0अ0सं0 157/2016 धारा 223, 224 भादवि पंजीकृत हुआ था जिसमें रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित है, जो अपने साथी प्रकाश के साथ आजमगढ़ में मौजूद है। उक्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा खेमउपुर रोड नहर पुलिया थाना क्षेत्र सिधारी, जनपद आजमगढ़ से उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

उल्लेखनीय है कि थाना क्षेत्र तरवॉ अन्तर्गत मन्दिर परिसर में सो रहे 01 पुजारी एवं 02 ग्रामीणों की हत्या कर डकैती की घटना हुई थी, जिसमें चन्द्रशेखर उपरोक्त आदि जेल गये थे। जेल में निरूद्ध के दौरान इनके द्वारा जेल में खाना बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान दिनांक 18–08–2016 को रक्षाबन्धन के दिन खाना बनाने के उपरान्त खाना बनाने वाले कलछुल, चादर एवं गमछे की मदद से जेल की दीवार फॉदकर अपने साथी जितेन्द्र व प्रकाश के साथ फरार हो गया था। चन्द्रशेखर द्वारा अपने गैंग के साथ निम्नांकित जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया गया है:–

- दिनांक 21–03–2014 को थाना क्षेत्र जीयनपुर, कोतवाली अन्तर्गत जीवन ज्योति क्लीनिक के मालिक डा0 विनोद यादव के घर डकैती की घटना के दौरान डा0 विनोद यादव एवं उनकी पत्नी डा0 संगीता यादव की हत्या।
- दिनांक 25–03–2014 को ग्राम सोहनी थाना क्षेत्र केराकत, जौनपुर में डकैती के दौरान गृह स्वामी अगरतु एवं उनकी पत्नी जुवरा देवी की हत्या।
- दिनांक 02–05–2014 को ग्राम मुलायमनगर, थाना फेफना बलिया में डकैती की घटना के दौरान एक व्यक्ति की मौके पर हत्या एवं 02 महिलाएं गम्भीर रूप से घायल हो गयी थी जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।
- दिनांक 26–05–2014 को थाना क्षेत्र तरवॉ, जनपद आजमगढ़ में ग्राम तरवॉ कातूसिंह का पुरवा स्थित मन्दिर में डकैती के दौरान पुजारी अनिल शर्मा सहित ग्रामीण सत्यनारायण विश्वकर्मा एवं दीपक सिंह की ईट एवं धारदार हथियार से हत्या।
- दिनांक 03–05–2014 को मोहल्ला तुलसीपुर में नरेन्द्र बिन्द के मकान में घुसकर रामनरेश बिन्द की हत्या करके डकैती की घटना को अंजाम दिया था।
- दिनांक 03–05–2014 को शिवरामनगर कालोनी में विजय बहादुर सिंह के मकान में घुसकर तेतरीदेवी की हत्या करके डकैती की घटना को अंजाम दिया था।
- दिनांक 10–02–2024 को अपने साथी जितेन्द्र के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक मे था इसी दौरान एसटीएफ उ0प्र0 टीम के साथ मुठभेड़ हो गयी जिसमें इसका साथी जितेन्द्र के पैर में गोली लगी और वह गिरफ्तार कर लिया गया तथा यह मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त चन्द्रशेखर उर्फ शेखर मुसहर को थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2016 धारा 223, 224 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभि0 चन्द्रशेखर उर्फ शेखर मुसहर उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास :-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	1090/2010	109/41 द0प्र0सं0	गहमर	गाजीपुर
2	69/2014	302, 396, 412 भादवि	तरवॉ	आजमगढ़
3	323/2014	302, 323, 460 भादवि	फेफना	बलिया
4	807/2014	396, 412 भादवि	कोतवाली	गाजीपुर
5	804/2014	396, 412 भादवि	कोतवाली	गाजीपुर
6	217/2014	460 भादवि	केराकत	जौनपुर
7	78/2014	302, 394 भादवि	जीयनपुर	आजमगढ़
8	71/2015	3(1) यूपी गै0एक्ट	तरवॉ	आजमगढ़
9	157/2016	223, 224 भादवि	सिधारी	आजमगढ़
10	71/2018	174ए भादवि	सिधारी	आजमगढ़
11	045/2024	307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट	सिधारी	आजमगढ़

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बादलपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध पिस्टल 32 बोर मय 32 जीवित, 19 खोखा कारतूस**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय 108 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 17.06.2026 को थाना बादलपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अम्बुजा सीमेन्ट फैक्ट्री के पास से 03 अभियुक्तों 1–राहुल 2–नीटू उर्फ कुलदीप 3–मनोज उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया। अन्य 02 अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध पिस्टल 32 बोर मय 32 जीवित, 19 खोखा कारतूस, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय 108 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त नीटू उर्फ कुलदीप शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बादलपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल निवासी ग्राम साकीपुर थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–नीटू उर्फ कुलदीप निवासी ग्राम बड़पुरा थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3–मनोज उर्फ गुड्डू निवासी बरमदपुर थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–02 अवैध पिस्टल 32 बोर मय 32 जीवित, 19 खोखा कारतूस।

2–04 अवैध तमंचा 315 बोर मय 108 खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना बर्रा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 किलो 458 ग्राम अवैध चरस आदि बरामद**

दिनांक 17.06.2026 को थाना बर्रा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर प्रिया हास्पिटल अण्डरपास के पास से 02 अभियुक्तों 1–रमजान अहमद 2–एजाज अहमद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 08 किलो 458 ग्राम अवैध चरस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बर्रा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रमजान अहमद निवासी मसवानपुर थाना रावतपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

2–एजाज अहमद निवासी मसवानपुर थाना रावतपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी

1–08 किलो 458 ग्राम अवैध चरस आदि।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना उमरीबेगमगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 13–13 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना उमरीबेगमगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रंजीत 2–गुरूदयाल को कठोर आजीवन कारावास व 13–13 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना कुरारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कुरारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कोमल सिंह को आजीवन कारावास व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————